


आदेश

निम्नलिखित महाविद्यालयों को राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनुमोदन के अनुसार अकादमी सत्र 2008-09 हेतु अरथाई अनापत्ति प्रमाण पत्र में अभिवृद्धि निम्नलिखित शर्तों के साथ स्वीकृत की जाती है-


क्र.सं.	पत्रा. सं.	महाविद्यालय का नाम	महाविद्यालय का पता	सम्बद्ध विश्वविद्यालय	विषय / संकाय
1	444	न्यू लुक गर्ल्स कालेज	लोधा परिसर, बांसवाड़ा	एम.एल.एस. विश्वविद्यालय, जयपुर	पूर्व संचालित विषय संकाय

1. संस्था सम्बन्धित विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्राप्त करेगी तथा विधि महाविद्यालय के प्रकारण में की.सी.आई. से विश्वविद्यालय सम्बद्धता पर अनुमोदन भी प्राप्त करेगी ।
2. महाविद्यालय द्वारा सत्र 2009-10 में केवल पाठ्य द्वितीय/तृतीय/स्नातकोत्तर उत्तरार्ध और सत्र 2010-11 में केवल पाठ्य तृतीय में छात्रों को प्रवेश दिया जायेगा ।
3. आगामी सत्रों में पाठ्य प्रथम/स्नातकोत्तर पूर्वार्ध पुनः प्रारम्भ करने हेतु राजस्थान और राजकीय शैक्षिक संस्था नियम 1993 के नियम 5 (i) एवं परिशिष्ट - द्वितीय में उल्लिखित भूमि भवन, स्टाफ व अन्य समस्त शर्तों की पूर्ण अनुपालना नियमानुसार सुनिश्चित करने के उपरान्त ही नये सिरे से निर्धारित समय पर निर्धारित प्रक्रिया से आवेदन प्रस्तुत कर पुनः अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा ।
4. राज्य सरकार संस्था को वर्तमान व भविष्य में इस हेतु कोई वित्तीय सहायता नहीं देगी ।
5. संस्था राज्य सरकार एवं कॉलेज शिक्षा के सभी निर्देशों की पालना करेगी ।
6. संस्था भविष्य में समय पर सभी मापदण्डों की पूर्ति कर एन.ओ.सी. अभिवृद्धि करने हेतु आवेदन करेगी ।
7. संस्था प्राचार्य एवं व्याख्याताओं की नियुक्ति पर सम्बद्ध विश्वविद्यालय का अनुमोदन प्रस्तुत करेगी ।
8. संस्था आयुक्तालय से सांख्यिकी पुस्तिका प्राप्त कर पूर्ण रूप से भरकर निर्धारित समयवाधि में जमा करायेगी ।


(पवन कुमार गोयल)
आयुक्त

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

1. निजी सचिव, मा0 उच्च शिक्षा मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर ।
2. निजी सचिव, मा0 उच्च शिक्षा राज्य मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर ।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर ।
4. निजी सचिव, आयुक्त कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर ।
5. जिला कलेक्टर, बांसवाड़ा ।
6. विशेषाधिकारी, उच्च शिक्षा (ग्रुप-4) विभाग, राजस्थान, जयपुर ।
7. कुल सचिव, एम.एल.एस. विश्वविद्यालय, जयपुर ।
8. सचिव, सम्बन्धित महाविद्यालय (रजिस्टर्ड ए.डी.)
9. सांख्यिकी शाखा, आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर ।
10. संचालित संस्था / महाविद्यालय पत्रावली ।
11. रक्षित पत्रावली ।


संयुक्त-निदेशक (अनुमोदन),
कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर ।

SECRETARY

New Look School Society

Reg. No.-33579-80

Banswara (Raj.)

PRINCIPAL

New Look Girl's PG College

Lodha, Banswara (Raj.)